RISING RAJASTHAN

Azadi ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 43/2024

अपीलांटगण– **बनाम** **रेस्पोडेंट्स –**

अपीलांटगण–

1. श्री दलाराम पुत्र गोबरराम
2. श्री खुशालाराम पुत्र गोबरराम
3. श्री घेवरराम पुत्र गोबरराम
4. श्री भंवराराम पुत्र गोबरराम
5. श्री करनाराम पुत्र गोबरराम

जातियान चौधरी, निवासीयान रवोड़ा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा
2. पटवारी हल्का रेवाड़ा
3. श्री माधुसिंह पुत्र भैरूसिंह
4. श्री सवाईसिंह पुत्र देवीसिंह

जातियान राजपूत निवासी रवोड़ा जेतमाल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रकरण संख्या 01/2024 अनवान राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का बनाम अप्रार्थी दलाराम व अन्य विरूद्ध आदेश दिनांक 01.10.2024 जो तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री रूघाराम कड़वासरा, अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री चेलाराम व दिनेश कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण संख्या 3 ता 4 की ओर से दौराने बहस उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 16.07.2025

1. अपीलांटगण की ओर से यह अपील धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत तहसीलदार पचपदरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2024 प्रकरण संख्या 01/2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 23.10.2024 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा रेवाड़ा जेतमाल के खसरा नंबर 315/124 किस्म बारानी अव्वल अवस्थित है। अपीलांटगण राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि

जिला कलक्टर
बालोतरा

गैरसायलान दलाराम वगैरह जो ग्राम रेवाड़ा जेतमाल के खसरा नंबर 315/124 किस्म बारानी अव्वल में राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार दर्ज है, ने उक्त भूमि से जुड़ते विभिन्न खसरों से चलायमान पुराने कदीमी रास्ता जो खसरा नंबर 119 रकबा 24.10 बीघा, खसरा नंबर 317/125 रकबा 21 बीघा के किनारे से होकर खसरा नम्बर 315/124 है। जिनके जुड़ता हुआ खसरा नंबर 323/127 है। जिसके खातेदार माधोसिंह वगैरा है। जिनके आने–जाने हेतु रास्ता कायम करने व खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय अर्थात रेस्पोडेंट संख्या 1 तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रकरण संख्या 01/2024 दर्ज कर दिनांक 01.10.2024 को आदेश पारित किया गया। अपीलांटगण ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. रेस्पोडेंटगण संख्या 3 ता 4 के योग्य अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत जवाब में कथन किया कि अपीलांट दल्लाराम वगैरा की खातेदारी भूमि रेवाड़ा जेतमाल के खसरा संख्या 315/124 किस्म बारानी अव्वल जरूर आयी हुई है. जिसके अपीलांटगण सहखातेदार, कास्तकार है। उक्त भूमि से जुड़ते विभिन्न खसरा संख्या 119 व 317/125, 131, 132 व 323/127 है। जिनके आने–जाने के लिए अपीलांट की खातेदारी भूमि के किनारे किनारे होकर वर्षों पुराना कदीमी (बारहमासी) रास्ता जो मौजा रेवाड़ा के अलग–अलग खातेदारों के खेतों में से होकर घड़सी का बाड़ा, कांकराला, पिण्डारण से समदड़ी गांव व पाटोदी से थोब जाने वाला रास्ता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1/2024 निर्णय दिनांक 01.10.2024 में अपीलांट को सुनवाई का अवसर देते हुए आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 03 व 04 व अन्य ग्रामीणों व खातेदारों द्वारा उक्त बंद रास्ते के संबंध में जिला स्तरीय जनसुनवाई में रास्ते को खुलवाने हेतु उपस्थित हुए। उक्त भूमि के किनारे–किनारे होते हुए खसरा संख्या 131 व 132 से होकर आगे जाता है, जो आज भी उक्त रास्ता चालु है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत आदेश पारित किया गया है, जिसका क्षेत्राधिकार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार को है। राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 251 में स्पष्ट है कि उक्त आदेश तहसीलदार द्वारा मार्ग तथा अन्य निजी सुखाचारों के अधिकारों को मध्य नजर रखते हुए उक्त आदेश पारित किया जायेगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत आदेश पारित किय गया है, न की धारा 251–ए के तहत उक्त आदेश पारित किया गया है. जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 में पुराने कदीमी बाहरामासी रास्ते को खुलवाने हेतु आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन तथा आधारहीन होने पर उक्त अपील खारीज योग्य है।

5. अपीलांटगण के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि उक्त विवादित भूमि अपीलांटगण संख्या 1 ता 5 व उसके भाई मोतीराम का संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नंबर 315/124 क्षेत्रफल 8.9031 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा रेवाड़ा जैतमाल, पटवार हल्का रेवाड़ा, भू–अभिलेख क्षेत्र पचपदरा में आयी हुई है, जो कदीमी से तरमीमसुदा है। उक्त भूमि में न तो कोई मौके पर रास्ता

जिला कलक्टर
बालोतरा

रहा है तथा न ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जो अपीलांटगण व उसके भाई मोतीराम की संयुक्त सामलाती काश्त की भूमि होने से बिना किसी रोक टोक के निरन्तर कब्जा रहा है। वर्तमान में अपीलांटगण की उक्त भूमि में काश्त की हुई है। अपीलांटगण का खातेदारी खेत खसरा नंबर 315/124 में कोई रास्ता नहीं होने के उपरांत रेस्पोडेंटगण द्वारा माधोसिंह वगैरा से मिलकर अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुए राजनीतिक दबाव से दिनांक 06.09.2024 को रा.का.अ. 1955 की धारा 251 के तहत नोटिस जारी कर अपीलांटगण को तलब किया गया, जिस पर अपीलांटगण द्वारा लिखित में अपना जबाव पेश कर एतराज किया गया, मगर उक्त एतराज की बिना किसी सुनवाई किये, अधिनस्थ न्यायालय अर्थात रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दिनांक 01.10.2024 को अनुचित व अवैधानिक कानून से हटकर गलत तथ्यों के आधार पर आदेश पारित किया गया। जबकि कानूनी दृष्टि से कोई भी रास्ता कायम करने हेतु काश्तकार को धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत या धारा 131, 136 के तहत प्रार्थना पत्र श्रीमान सहायक जिला कलेक्टर/उपखंड अधिकारी के समक्ष पेश कर प्रार्थना पत्र को निस्तारण किया जा सकता हैं। धारा 251–ए आर.टी.ए. के प्रावधान में यह भी बताया गया कि निकटतम रास्ता कोई भी कास्तकार प्राप्त कर सकता है, जबकि खेत खसरा नंबर 323/127 के खातेदार माधोसिंह के अन्य नजदीकी रास्ता है, जिसके अन्य रास्ते से उनके नजदीकी रास्ते तक मौके पर भी रास्ता कायम है, मगर राजनीतिक दबाव से हम अपीलांटगण को परेशान तंग कर गलत तथ्यों के आधार पर धारा 251 आर.टी. ए. के तहत प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया गया है। राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कोई भी कास्तकार को आवागमन हेतु रास्ता कायम करने हेतु धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र संबंधित व क्षेत्राधिकार में आने वाले सहायक जिला कलेक्टर/उपखंड अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र पेश कर कास्तकार को डीएलसी रेट से दूगनी राशि प्राप्त कर रास्ता कायम किया जा सकता है एवं धारा 251–ए में जिस खातेदार को रास्ता की आवश्यक होने पर उसके करीबी व नजदीकी रास्ता ही कायम किया जा सकता है, जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 के समक्ष पेश किये गये आवेदन कास्तकार के अन्य खातेदारी भूमि के अपने करीबी रास्ता मौके पर कायम होते हुए भी केवल मात्र हम अपीलांटगण को तंग परेशान करने हेतु गलत तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या के समक्ष आवेदन पेश कर उसके साथ गलत मौका रिपोर्ट बनाकर उक्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो खारिज योग्य है।

6. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 के प्रावधानों के तहत यह स्पष्ट किया है कि काश्तकारों को अपने खेतों तक पहुंचने के लिये या सिंचाई के लिए दूसरी की भूमि से रास्ता या पाईप लाईन बिछाने का अधिकार देती है, बर्शत कि उचित प्रक्रिया की पालना की जाए और आवश्यक मुआवजा दिया जाए एवं कोई भी काश्तकार अपने खेत में आने–जाने हेतु रास्ता नहीं होने पर निकटतम रास्ते तक अपने खसरान की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता घोषित करवाने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार या उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया जायेंगा, जिसमें निकटतम रास्ता ही काश्तकार रास्ता घोषित करवा सकता है एवं जिसका मुआवजा राशि अदा कर रास्ता कायम किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपनी लिखित बहस के साथ परिशिष्ट "अ"

जिला कलक्टर
बालोतरा

पेश किया है, जिसमें उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा आदेश 01 नियम 10 के तहत आवेदन स्वीकार कर माधोसिंह वगैरह को पक्षकार बनाये गये, जबकि माधोसिंह वगैरा का खातेदारी खेत खसरा नंबर 132 है जो परिशिष्ट "अ" में बरंग हरा दर्शाया गया है एवं अपीलांटगण का खातेदारी खेत खसरा नंबर 315/124 है, जो परिशिष्ट में बरंग लाल दर्शाया गया है, उक्त खसराने नंबर 132 से करीबी रास्ता खसरा नंबर 131, 334/130, 331/128 व 333/128 अर्थात मूल खसरा नंबर 128 से जुड़ती हुई मुख्य सड़क है। उक्त खसरान के करीबी रास्ता है, जो रेस्पोडेंट माधोसिंह का करीबी रास्ता है, जबकि अपीलांट का खसरा नंबर 315/124 है जिसके जुड़ता हुआ कोई रास्ता व सड़क नहीं है, क्योंकि अपीलांट का खसरा नंबर 315/124 के अड़ौस पड़ौस खसरा नंबर 119, 314/124, 316/124, 317/125 व 450/323, 451/323 दर्शाये गये है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट का खसरा नंबर 315/124 के आड़ौस पाड़ौस में कोई रास्ता कायम नहीं है, न कभी रहा है। अनवान अपील में रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 गलत तथ्य बताकर अनवान प्रकरण में आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर अपने आपको हितबद्ध पक्षकार बताकर प्रार्थना पंत्र पेश किया गया है, जबकि अनवान अपील में रेस्पोडेंट संख्या 03 व 04 कोई किसी प्रकार से हितबद्ध नहीं रखते है, हितबद्ध रखने बाबत ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया है एवं रेस्पोडेंट संख्या 03 व 04 का कोई भी खसरा अपीलांटगण के पाड़ौस में नहीं है, जिससे प्रथम दृष्टया रेस्पोडेंटगण संख्या 03 व 04 किसी प्रकार से हितबद्ध पक्षकार नहीं है। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश तारीख 01.10.2024 निरस्त फरमाया जावे।

7. रेस्पोडेंटगण संख्या 3 ता 4 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट दल्लाराम वगैरा की खातेदारी भूमि रेवाड़ा जेतमाल के खसरा संख्या 315/124 किस्म बारानी अव्वल जरूर आयी हुई है. जिसके अपीलांटगण सहखातेदार, कास्तकार है। उक्त भूमि से जुड़ते विभिन्न खसरा संख्या 119 व 317/125, 131, 132 व 323/127 है, जिसके खातेदार रेस्पोडेटान संख्या 03 व 04 व अन्य रेवाड़ा जेतमाल के ग्रामीण खातेदार कास्तकार है। जिनके आने–जाने के लिए अपीलांट की खातेदारी भूमि के किनारे किनारे होकर वर्षों पुराना कदीमी (बारहमासी) रास्ता जो मौजा रेवाड़ा के अलग–अलग खातेदारों के खेतों में से होकर घड़सी का बाड़ा, कांकराला, पिण्डारण से समदड़ी गांव व पाटोदी से थोब जाने वाला रास्ता है। जिस पर किसानों द्वारा पूर्व में बेलगाड़ी व ऊटगाड़ी से कृषि यन्त्रों को लाने व ले जाने हेतु उक्त कदीमी रास्ता कायम करने व खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1/2024 दर्ज कर दिनांक 01.10.2024 को अपीलांट को नैसर्गिक न्याय के तहत सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 01.10.2024 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार पचपदरा, भू–अभिलेख अधिकारी व पटवारी द्वारा दिनांक 03.05.2024 को मौका फर्द तैयार कर उक्त कदीमी रास्ते को पुलिस जाब्ता के जरिये दिनांक 16.11.2024 को बंद रास्ते को आवागमन हेतु खुलवाया गया। रेस्पोडेंट संख्या 03, 04 व अन्य ग्रामीणों तथा खातेदारों द्वारा उक्त बंद रास्ते के संबंध में जिला स्तरीय जनसुनवाई में रास्ते को खुलवाने हेतु उपस्थित हुए, जिस पर श्रीमान द्वारा उक्त रास्ते की मौका रिपोर्ट भी मंगवायी गयी। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट है कि अपीलांटगण ने उक्त वर्षों पुराना कदीमी रास्ते को बंद कर दिया है। उक्त भूमि

जिला कलक्टर
बालोतरा

के किनारे–किनारे होते हुए खसरा संख्या 131 व 132 से होकर आगे जाता है जो आज भी उक्त रास्ता चालु है जो पुराना कदीमी व बाहरामासी रास्ता है। वर्तमान में वादग्रस्त कदीमी रास्ते की भूमि पर कोई कास्त की हुई नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में मोतीराम बतौर पक्षकार बनाया गया था, लेकिन अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील में मोतीराम को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट का खातेदारी खेत संख्या 315/124 में कोई रास्ता नहीं होने के उपरांत रेस्पोडेंटान द्वारा माधोसिंह वगैरा से मिलावट कर अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुए राजनीतिक दबाव से दिनांक 06.09.2024 को राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के नोटिस जारी कर अपीलांट को तलब किया गया, लेकिन इसके प्रत्युतर इस प्रकार है कि ग्राम रेवाड़ा जेतमाल के उक्त रास्ते से प्रभावित होकर ग्राम रेवाड़ा के ग्रामीणों व खातेदारों द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 को उक्त कदीमी रास्ते के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किया, रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उक्त रास्ते का प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नैसर्गिक न्याय व सुनवाई का अवसर देकर मार्गाधिकार या अन्य सुखाधिकार या अधिकार में जिसका वह वास्तविक में उपयोग कर रहा हो व मौके की जांच कर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत आदेश पारित किया गया है जिसका क्षेत्राधिकार अधिनस्थ न्यायालय को है। राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 251 में स्पष्ट है कि उक्त आदेश तहसीलदार द्वारा मार्ग तथा अन्य निजी सुखाचारों के अधिकारों को मध्य नजर रखते हुए उक्त आदेश पारित किया जायेगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत आदेश पारित किय गया है, न की धारा 251–ए के तहत उक्त आदेश पारित किया गया है. जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 में पुराने कदीमी बाहरामासी रास्ते को खुलवाने हेतु आदेश पारित किया गया है। इसके अलावा न्यायिक दृष्टान्त एवं परिपत्र राजस्व ग्रुप 6 के कमांक प.3(17)राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 2 में जहां रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है तथा कृषक द्वारा परम्परागत रूप से सुखाधिकार के रूप में जिस मार्ग का उपयोग किया जा रहा है उस मार्ग को अवरूद्ध करने का प्रकरण प्राप्त होने पर उसे धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर खुलवाया जाये। इस प्रकार रास्ता खुलवाया जाने हेतु संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित एवं कारण सहित आदेश पारित किया जावे। आदेश में रास्ते में अवरोध करने वाले व्यक्ति को भविष्य में अवरोध उत्पन्न नहीं करने के लिये भी पाबंद किया जावे। इस प्रकार के प्रकरणों में ना तो रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावेगा और ना ही संबधित खातेदार/खातेदारों का खातेदारी क्षेत्रफल कम किया जायेगा तथा 251. रास्ते तथा अन्य निजी सुखाचार के अधिकार (1) उस दशा में जब कोई भूमिधारी जो वस्तुतः रास्ते के अधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार का उपभोग कर रहा हो, अपने उक्त उपभोग में बिना उसकी सहमति के, विधि विहित प्रणाली से भिन्न तरीके से. बाधित किया जाय, तहसीलदार उक्तरूपेण बाधित भूमिधारी के प्रार्थना–पत्र पर तथा उक्त उपभोग एवं बाधा के विषय में सरसरी जाँच करने के पश्चात् बाधा को हटाये जाने की अथवा बन्द किये जाने की और प्रार्थी भूमिधारी को पुनः उक्त उपभोग करने की आज्ञा, कर सकेगा चाहे उक्तरूपेण पुनः उपयोग किये

जिला कलक्टर
बालोतरा

जाने के विरूद्ध तहसीलदार के समक्ष अन्य कोई हक स्थापित किया जाये। अतः अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज फरवाते हुए अपीलांटगण द्वारा अपने खातेदारी भूमि में किये गये रास्ते को खुलवाने का आदेश फरमावे तथा अपीलांट भविष्य में उक्त कदीमी बाहरामासी रास्ते में रूकावट पैदा नहीं करने हेतु पाबंद किया जावें।

8. हमने अपीलांटगण के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा रेवाड़ा जेतमाल के खसरा नंबर 315/124 किस्म बारानी अव्वल अवस्थित है। राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 हल्का पटवारी के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि गैरसायलान दलाराम वगैरह जो ग्राम रेवाड़ा जेतमाल के खसरा नंबर 315/124 किस्म बारानी अव्वल में राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार दर्ज है, ने उक्त भूमि से जुड़ते विभिन्न खसरों से चलायमान पुराने कदीमी रास्ता जो खसरा नंबर 119 रकबा 24.10 बीघा, खसरा नंबर 317/125 रकबा 21 बीघा के किनारे से होकर खसरा नम्बर 315/124 के किनारे से होकर खसरा नंबर 323/127 में से आगे कई खसरान में कदीमी रास्ता चलायमान है, को दलाराम वगैरा द्वारा खसरा नबंर 323/127 के सेढ़े पर खाई खेद कर बंद कर दिया गया। जिनके आने–जाने हेतु रास्ता कायम करने व खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय अर्थात रेस्पोडेंट संख्या 1 तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रकरण संख्या 01/2024 दर्ज कर दिनांक 01.10.2024 को आदेश पारित किया गया। अपीलांटगण की मुख्य आपत्ति है कि खसरा नंबर 315/124 क्षेत्रफल 8.9031 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा रेवाड़ा जैतमाल, पटवार हल्का रेवाड़ा, भू–अभिलेख क्षेत्र पचपदरा में आयी हुई है। उक्त भूमि में न तो कोई मौके पर रास्ता रहा है तथा न ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा कास्तकार को आवागमन हेतु रास्ता कायम करने हेतु धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र संबंधित व क्षेत्राधिकार में आने वाले सहायक जिला कलेक्टर/उपखंड अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र पेश कर कास्तकार को डीएलसी रेट से दूगनी राशि प्राप्त कर रास्ता कायम किया जा सकता है, लेकिन उक्त आदेश तहसीलदार द्वारा धारा 251 के तहत पारित किया गया है, जो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में नहीं आने से उक्त आदेश को निरस्त करने हेतु निवदेन किया गया। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा से तलब किया गया मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें उक्त कदीमी रास्ता कायम करने व खुलवाने हेतु हल्का पटवारी रेवाड़ा ने रिपोर्ट एवं प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रकरण संख्या 1/2024 दर्ज कर दिनांक 01.10.2024 को अपीलांट को नैसर्गिक न्याय के तहत सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 01.10.2024 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 251 के तहत आदेश पारित किया गया, होना पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 में पुराने कदीमी बाहरामासी रास्ते को खुलवाने हेतु आदेश पारित करना होता है। ***इससे स्पष्ट होता है कि*** अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा ***"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 251 के तहत कोई भी रास्ते तथा अन्य निजी सुखाचार*** (Easement) ***के अधिकारः- उस***

जिला कलक्टर
बालोतरा

अवस्था में जब कोई भूमिधारी जो वस्तुतः रास्ते के अधिकार, या अन्य सुखाचार या अधिकार का उपभोग कर रहा हो, अपने ऐसे उपभोग में बिना उसकी सहमति के, कानून द्वारा निर्धारित प्रणाली के भिन्न तरीके से, बाधित किया जाये, तहसीलदार इस प्रकार बाधित भूमिधारी के प्रार्थना-पत्र पर, तथा उक्त उपभोग एवं बाधा के विषय में सरसरी जाँच करने के पश्चात् बाधा को हटाये जाने की अथवा बन्द किये जाने की ओर प्रार्थी भूमिधारी को पुनः उक्त उपभोग करने देने की आज्ञा दे सकेगा", की धारा की पालना करते हुए उक्त आदेश जारी करना प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत आदेश पारित किय गया है, न की धारा 251–ए के तहत उक्त आदेश पारित किया गया है। इसके साथ ही कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा से तलब की गई मौका रिपोर्ट में भी खसरा संख्या 315/124 में पूर्व में चलायमान कदीमी रास्ता जो कि वर्तमान में जेसीबी द्वारा खाई लगाकर बंद किया गया एवं नजरी नक्शा में कदीमी रास्ता दर्शाया गया, होना बताया गया है। ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, उसमें हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय पचपदरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.10.2024 को बहाल रखा जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा